पत्रांक /आयु0 क0 उत्तरा0/धारा–57 अनुभाग/वा0कर/2011–12/दे0दून

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड,
(धारा–57, अनुभाग)
दिनांकः: देहरादून२० सितम्बर, 2011

प्रार्थना पत्र सं0 – 1688/26.05.2011
सर्वश्री एच0सी0एल0 पावर सिस्टम लि0
प्लॉट नं0–1, सेक्टर 8ए, 11ई सिडकुल, हरिद्वार।
उपस्थिति– सर्वश्री एच0सी0एल0 पावर सिस्टम लि0 प्लॉट नं0–1, सेक्टर 8ए, 11ई, सिडकुल, हरिद्वार की ओर से मैनेजर कामर्शियल, श्री दीपक बिष्ट एवं असिस्टेंट मैनेजर श्री भूषण गोयलं।
निर्णय का दिनांक– सितम्बर, 2011,

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत निर्णय।

1– सर्वश्री एच0सी0एल0 पावर सिस्टम लि0, प्लॉट नं0–1, सेक्टर 8ए, 11ई, सिडकुल हरिद्वार द्वारा उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा–57 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र देते हुये यह तथ्य रखा गया है कि फर्म सभी प्रकार की बैटरी एवं उसके पार्टस की खरीद उत्पादन एवं बिक्री के लिए पंजीकृत है। अब उनके द्वारा **सोलर पावर जनरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत पुनर्नविकरणीय उर्जा उपकरण और पुर्जे (Renewal Energy Devices and Parts) के खरीद बिक्री (Trading Activity)** का व्यवसाय शुरू किया जा रहा है जिसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं।

1-Grid Support Power Conditioning Unit.
2-PV Module WS Nominal Power.
3-Solar Power Conditioning Unit.

उपरोक्त वस्तुओं को प्रथम दृष्टया सोलर पावर जनरेटिंग सिस्टम की श्रेणी के अन्तर्गत आना मानते हुए, वैट अधिनियम की अनुसूची–1 से आच्छादित बताया गया है। क्योंकि सभी वस्तुऐं सोलर एनर्जी पर आधारित हैं। अतः आवेदनकर्ता द्वारा यह जानकारी चाही गयी है कि उपरोक्त वस्तुओं की बिक्री वैट अधिनियम की अनुसूची–1 के कमांक 49 पर उल्लिखित सोलर पावर जनरेटिंग सिस्टम के अन्तर्गत आयेंगी अथवा नहीं।

2– ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) हरिद्वार संभाग हरिद्वार के पत्र संख्या 986 दिनांक 04.07.2011 द्वारा विभागीय मत प्रेषित करते हुए अवगत कराया गया है कि आवेदनकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न अनुलग्नकों में उक्त वस्तुओं का Technical Specification/ Date अंकित है परन्तु अनुलग्नकों के अध्ययन के पश्चात यह स्पष्ट नहीं होता कि वास्तव में उपरोक्त वस्तुऐं केवल सोलर एनर्जी से ही संचालित की जा सकती है अथवा नहीं। ऐसी स्थिति में उक्त वस्तुओं पर करदेयता वैट अधिनियम 2005 के शैडयूल–1 के अन्तर्गत मानना संभव नहीं है। अतः मेरे विचार से सन्दर्भित वस्तुओ पर RNR अर्थात 13.5 प्रतिशत की दर से करदेयता मानना उचित होंगा।

3– प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु फर्म की ओर से फर्म के मैनेजर कॉमर्शियल श्री दीपक बिष्ट एवं असिस्टेंट मैनेजर श्री भूषण गोयल, दिनांक 08.08.2011 को उपस्थित हुए। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों को रखते हुए प्रार्थना पत्र के निस्तारण का अनुरोध किया गया है।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम– 2005 की धारा–4 की उपधारा–(2) के खण्ड–(क) के अन्तर्गत दी गयी अनुसूची–1 के कमांक–49 पर प्रभावी दिनांक 20.9.2006 से **"पुनर्नविकरणीय उर्जा तन्त्र एवं पुनर्नविकरणीय उर्जा स्त्रोत उत्पादित अथवा उपयोग करने वाले**

पत्रावली संख्या धारा 57
5320 आवश्यक कार्यवाही करें।
21/9/11 ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर देहरादून सम्भाग, देहरादून

उपकरण जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं तथा उनके पुर्जे" के अन्तर्गत कुल 19 प्रकार की प्रविष्टियां अंकित हैं। जिसमें से कमांक–49(10) पर सौर उर्जा उत्पादन यन्त्र **(Solar Power Generating System)** तथा 49(11) में पानी को पम्प करने और अन्य उपयोग के लिए सौर प्रकाश बोल्टीय मॉडयूल और पैनल **(Solar photovoltaic modules and panels for water pumping and other applications.)** का उल्लेख करते हुए इन कमांकों पर अंकित वस्तुओं की खरीद बिकी को करदेय नहीं माना गया है।

आवेदनकर्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उपरोक्त तीन श्रेणी की वस्तुओं का उल्लेख करते हुए जानकारी चाही गयी है कि क्या उपरोक्त तीनों वस्तुऐं सोलर पावर जनरेटिंग सिस्टम की श्रेणी में पुनर्नविकरणीय उर्जा तन्त्र एवं उनके पुर्जे के अन्तर्गत आएगी अथवा नहीं।

ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर हरिद्वार संभाग हरिद्वार द्वारा अपनी आख्या में उल्लिखित किया है कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न अनुलग्नकों से स्पष्ट नहीं है कि उपरोक्त वस्तुऐं सोलर एनर्जी से ही संचालित होंगी अथवा नहीं। अतः उनके द्वारा उपरोक्त संदर्भित वस्तुओं को वैट अधिनियम–2005 अनुसूची–1 के अन्तर्गत न मानते हुए बिकी के प्रत्येक बिन्दु पर अवर्गीकृत वस्तु की भांति अतिरिक्त कर सहित 13.5 प्रतिशत की दर से करदेयता होना उचित ठहराया गया है।

आवेदनकर्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में सन्दर्भित जिन तीन वस्तुओं का उल्लेख किया गया है, उसके सन्दर्भ में ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर हरिद्वार संभाग हरिद्वार से पुनः आख्या मांगी गयी थी उनके द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या–1715 दिनांक 06.09.2011 के द्वारा मांगी गयी पांच बिन्दुओं पर आख्या प्रेषित की गयी है। बिन्दु संख्या–03 में सूचना मांगी गयी थी कि व्यापारी द्वारा अंकित किये गये सिस्टम का प्रयोग किस प्रकार और किस रूप में किया जाएगा। जिसकी आख्या में उल्लिखित किया गया है कि "PV Modules, Solar Charge Controller/Solar Power Conditioning Plant, Inverter तथा Battery की खरीद कर Solar Power Generating System as a whole बनाया जाता है। जिससे सूरज की energy को उपरोक्त उपकरणों द्वारा Solar energy में convert किया जाता है तथा energy से विभिन्न Electrical Equipment का संचालन होता है"।

उपरोक्त आख्या से स्पष्ट है कि व्यापारी द्वारा उल्लिखित वस्तुओं की खरीद करने के पश्चात Solar Power Generating System as a whole का उत्पादन किया जाता है। चूंकि अनुसूची–1 के कमांक 49(10) पर सोलर पावर जनरेटिंग सिस्टम को करमुक्त की श्रेणी में रखा गया है। अतः Solar Power Generating System as a whole ही करमुक्ति की श्रेणी में आएगा न कि प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तीनों प्रकार की वस्तुऐं। अतः प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तीनों प्रकार की वस्तुऐं सोलर पावर जनरेटिंग सिस्टम की श्रेणी में पुनर्नविकरणीय उर्जा तन्त्र एवं उनके पुर्जे के अन्तर्गत नहीं आयेंगी और उनकी बिकी के प्रत्येक बिन्दु पर अवर्गीकृत वस्तुओं की भांति 13.5 प्रतिशत की दर से करदेयता होगी।

इस प्रकार मूल्य वर्धित कर अधिनियम–2005 की धारा–57 अन्तर्गत प्रेषित प्रार्थना पत्र का उत्तर दिया जाता है।

निर्णय की प्रति सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं व्यापारी को पंजीकृत डाक से भेजी जाय।

(डॉ0 हेमलता ढौंडियाल)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तराखण्ड।

2636

पृ0प0सं0 /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. प्रमुख सचिव वित्त उत्तराखण्ड शासन,
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्दिरा नगर देहरादून।
3. एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढवाल जोन देहरादून/कुमॉऊ जोन रूद्रपुर।
4. एडिशनल कमिश्नर,(आडिट)/(प्रर्वतन) वाणिज्य कर, मुख्यालय देहरादून ।
5. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/ हरिद्वार/ काशीपुर/ हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों /बार एशोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध करानें का कष्ट करें ।
6. ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून/हल्द्वानी ।
7. ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0 /परिवर्तन) वाणिज्य कर हरिद्वार/रूद्रपुर ।
8. डिप्टी कमि0(क0नि0)–1 वाणिज्य कर हरिद्वार को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. बरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर की बेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें
10. संख्या–अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों / अधिवक्ताओं को ई–मेल द्वार प्रेषित कर दें।
11. नेशनल लॉ हाउस बी–2 मॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेड़कर रोड़ गाजियाबाद।
12. नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस–15/5 राज नगर गाजियाबाद।
13. लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलैक्ट्रेट कम्पाउण्ड, राजनगर गाजियाबाद।
14. कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाईल हेतु ।
15. विधि–अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तराखण्ड